सावजनिक और निजी क्षेत्र में उर्वरक उत्पादक इकाइयां

2598. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में स्थापित की गई उर्वरक उत्पादक इकाइयों का राज्य-वार अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ख) इन इकाइयों का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य क्या है और उनको दी गई रियायतों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी निजी क्षेत्र की इकाइयों में विदेशी पूंजी निवेश किया गया है और उनके हिस्से और साझेदारी का प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या निजी क्षेत्र में उर्वरक उत्पादकों को इकाई की स्थापना करने हेतु स्थान का चयन करने की खुली छूट दी जाती है; और

(ङ) निजी क्षेत्र की कौन-कौन सी कम्पनियों द्वारा उड़ीसा, गुजरात और मध्य प्रदेश में उर्वरक उत्पादक इकाइयां स्थापित करने हेतु अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए०के० पटेल): (क) और (ख) सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में स्थापित प्रमुख उर्वरक एककों के संबंध में अपेक्षित सूचना संलग्नक-I में दी गई है। **[देखिए परिशिष्ट 184, अनुपत्र सं० 74]**

सामान्य रूप से उर्वरक एककों को निम्नलिखित रियायतें दी जा रही हैं:—

(I) नए संयंत्रों की स्थापना विद्यमान एककों के आधुनिकीकरण करने के लिए पूंजीगत मालों का शुल्क मुक्त निर्यात।

(II) उर्वरक परियोजनाओं को पूंजीगत मालों के स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं को निर्यात समलाभ बशर्ते कि ऐसी आपूर्तियां अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली पद्धति के तहत की जाए।

(III) उर्वरक कच्चे मालों तथा मध्यवर्तियों का शुल्क मुक्त आयात।

(IV) यूरिया पर वर्तमान में लागू प्रतिधारण मूल्य-सह-राजसहायता स्कीम के तहत उद्यमियों का निवेश पर उचित लाभ।

(ग) निजी क्षेत्र की प्रमुख उर्वरक इकाइयों द्वारा की गई विदेशी साम्य सहभागिता के संबंध में सूचना संलग्नक-II की तालिका में दी गई है। **[देखिए परिशिष्ट 184, अनुपत्र सं० 75]**

(घ) और (ङ) दिनांक 24.7.1991 को घोषित की गई औद्योगिक नीति के अनुसार उर्वरक संयंत्रों की किसी भी स्थान पर स्थापना की जा सकती है बशर्ते कि (क) स्थल, 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर से 25 कि०मी० के भीतर नहीं है (यदि यह एक पूर्व निर्धारित औद्योगिक क्षेत्र नहीं है); और (ख) यह पर्यावरण कानूनों, जोनिंग और भू-उपयोग विनियमनों को पूरा करता हो।

इस नीति के अनुसार, नए उर्वरक संयंत्र की स्थापना हेतु निजी निवेशकों द्वारा सरकार को आवेदन किया जाना अपेक्षित नहीं है। गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित निजी निवेशकों ने बड़े उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने का अपना इरादा अभिव्यक्त करते हुए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं:—

क्र० सं०	निजी निवेशक का नाम	राज्य
1.	मै० ओसवाल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि०	उड़ीसा
2.	मै० रिलाएन्स इंडस्ट्रीज लि०	गुजरात
3.	मै० इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स कार्पोरेशन लि०	गुजरात

Agencies Working in Gujarat for Seeking Chemicals and Fertilisers

2599. SHRI GOPAL SINGH C. SOLANKI: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILISERS be pleased to state:

(a) the number of agencies working in the State of Gujarat, district-wise for seeking chemicals and fertilisers as on 31st March, 1998;

(b) the number of agencies working under the cooperative socieities and private sectors separately;

(c) the programme of development of Government for making profitability of